न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर संभाग सागर

नथुवा पिता हल्काई ढीमर ,

निबासी ग्राम सरकनपुर, तह0 खारगापुर, जिला टीकमगढ़ म प्र0

.................आवेदक

वनाम

1— घसिया तनय नंदू ढीमर ,

2— बिहारी तनय कुटटू ढीमर ,

निबासी ग्राम सरकनपुर, तह0 खारगापुर, जिला टीकमगढ़ म प्र0

.... अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता :—

आवेदकगण की ओर से निम्न प्रार्थना है :—

1— यह कि आवेदकगण यह निगरानी न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा द्वारा प्र0क0 769/वी121/2013—14 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 25/08/2015 से परिवेदित होकर कर रहा हैं। जो समय सीमा में है। माननीय न्यायालय को अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

2— यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R/111/15 जिला टीकमगढ़

नत्थुआ (शासन)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28.10.15	प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता के माध्यम से तर्क श्रवण किये गये तथा नस्ती में उपलब्ध अभिलेखों का परिशीलन किया गया। इनके आधार पर प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार बनता है। आवेदक नत्थुआ के अभिभाषक द्वारा इस न्यायालय के समक्ष वर्ष 1983 में नत्थुआ को सर्वे क्रमांक 699/4 पर 1-00 हे० भूमि के पट्टे की मंजूरी के आदेश की प्रति उपलब्ध कराते हुए यह बताया कि तहसीलदार, खरगापुर द्वारा उनके प्र०क्र०-22/अ-19/09-10 में पारित आदेश दिनांक-30-7-2010 से शिकायत के आधार पर निगरानीकार का पट्टा निरस्त कर दिया था, जिसके उपरांत अनु०अधिकारी बल्देवगढ़ ने उनके प्र०क्र० 02/अपील/10-11 में पारित आदेश दिनांक 12-7-2011 से नत्थुआ द्वारा दायर अपील को निरस्त कर दिया गया था। इन दोनों प्रकरणों के प्रचलित रहने के दौरान निगरानीकार नत्थुआ से पट्टा आवंटन का आदेश गुम हो गया था, जिस वजह से वह उसे इन न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाया, जिस कारण इन न्यायालयों ने उसके पक्ष में आदेश नहीं दिया। तदुपरांत नत्थुआ को उसके पट्टा आवंटन आदेश की प्रति मिल गई। अनुविभागीय अधि० के आदेश के विरुद्ध नत्थुआ ने अपर आयुक्त सागर के समक्ष अपील की, जिसे अपर आयुक्त ने समय बाधित होने के आधार पर अस्वीकार कर दिया। निगरानीकार अभिभाषक द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष अपील और प्रस्तुत धारा 5 म्याद अधिनियम के आवेदन की प्रति देते हुए यह कहा गया कि निगरानीकार नत्थुआ 75 वर्ष आयु का वृद्ध एवं अशिक्षित व्यक्ति है तथा अनु० अधि० के आदेश के बाद उसकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार रही और लम्बी बीमारी के बाद उसकी पत्नी की मृत्यु हो गयी। इस सब के चलते उसे अनु०अधिकारी के आदेश	

[क्र. प. उ.

नथुआ ओमिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	को जानकारी नहीं हो पाई, और अगस्त 2015 में जानकारी मिलने के बाद उसने अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिन कारणों के चलते अपर आयुक्त को विलम्ब को माफ करना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया।	
	अपर आयुक्त ने उनके आदेश दिनांक 25-8-15 में विलम्ब के इन बताए गये कारणों का उल्लेख करते हुए यह लिखा है कि अपीलार्थी की ओर से पत्नी की बीमारी के संबंध में कोई चिकित्सा प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किया गया है, प्रत्येक दिवस के विलम्ब के स्पष्ट एवं समाधानकारक कारण नहीं बताये गये तथा ऐसे कोई ठोस आधार नहीं दर्शाये गये जिनके आधार पर विलम्ब को सद्भावना पूर्ण माना जा सके।	
	चूंकि अनु॰अधि॰ के समक्ष, राजस्व मण्डल के समक्ष का निगरानीकर्ता नथुआ स्वयं अपीलार्थी था, एवं अनु॰ अधि॰ के आदेश के पैरा 5 में यह लिखा है कि उन्होंने उभयपक्षों के तर्कों के उपरांत निर्णय लिया है, अतः यह बात मानी जाने योग्य नहीं है कि निगरानीकर्ता नथुआ को अनु॰ अधि॰ के आदेश की जानकारी नहीं थी। यह उनका (नथुआ का उनके अधिवक्ता के माध्यम से) दायित्व था कि वे पता लगाते कि उनके तर्क के उपरांत अनु॰ अधि॰ द्वारा कब आदेश पारित किया है।	
	निगरानीकर्ता द्वारा इस न्यायालय के समक्ष भी पत्नी के इलाज आदि से संबंधित कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये हैं।	
	निगरानीकर्ता द्वारा यह भी इस न्यायालय के समक्ष स्पष्ट नहीं किया गया है, कि उन्हें प्रश्नाधीन आवेदन आदेश की जोड़ी हुई प्रति कब मिली। सम्भावना यही है कि जब निगरानीकर्ता नथुआ को खोये हुए प्रश्नाधीन आवेदन आदेश की प्रति मिली होगी तभी उन्होंने अपर आयुक्त के समक्ष अपील दायर करने का, धारा 5 के आवेदन सहित, विचार किया होगा।	
	उपरोक्त समस्त बिन्दुओं पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने के उपरांत मेरा यह मानना है कि यदि निगरानीकर्ता	

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक.................................... जिला ....

स्थान तथा दिनांक	निगरानी/कार्यवाही तथा आदेश ग्वालियर	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	निगुआ द्वारा प्रस्तुत की जा रही पट्टा आवेदन आदेश की प्रति वास्तविक है, तो यह उसका एक substantial विधिक अधिकार है जिसे तकनीकी कारणों से समाप्त किया जाना न्यायोचित नहीं होगा। भले ही निगुआ ने अपर आयुक्त के समक्ष विलम्ब माफी हेतु ऐसे आधार बताए हो, जिनकी अभिलेखों के आधार पर वह पुष्टि नहीं करा पा रहा हो, तथा भले ही यह सत्य हो कि उसने कोई दूसरा पट्टा आवेदन आदेश की प्रति मिल जाने पर अनु० अधि० के आदेश के विरुद्ध अपील करने का विचार किया हो, तो भी यदि पट्टा आवेदन का अभिलेख सही है तो प्रकरण के गुण-दोष के महत्व के प्रकाश में न्यायहित में विलम्ब को माफ करते हुए प्रकरण में गुण दोष पर अपर आयुक्त को विवेचना कर निर्णय पारित कर देना चाहिए। गुण दोष के महत्व के आधार पर विलम्ब माफ करने के संबंध में अनेक न्याय सिद्धांत उपलब्ध हैं जिन्हें यहाँ उद्धृत करने की आवश्यकता नहीं है। निःसंदेह इस प्रकरण में गुण दोष का महत्व इस प्रकार का है कि विचाराधीन विलम्ब को माफ कर दिया जाना चाहिए। उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग उनके प्र०क्र० 769/बी-121/13-14 में पारित आदेश दिनांक 25-8-15 अपास्त करता हूँ तथा अपर आयुक्त ग्वालियर को यह निर्देश देता हूँ कि वे इस अपील प्रकरण को पुनः खोलकर उसमें गुण दोष के आधार पर, विलम्ब को माफ करते हुए, बोलता हुआ निर्णय नये सिरे से पारित करें। अपर आयुक्त अपना आदेश पारित करने से पूर्व तहसीलदार के आदेश दिनांक 30-7-10 एवं अनु० अधि० के आदेश दिनांक 12-7-2011 में अंकित तथ्यों की जांच कराई जाकर निगरानीकर्ता निगुआ द्वारा प्रस्तुत पट्टा की प्रमाणिकता के आधार पर गुण दोष पर निर्णय लें	

[कृ. प. उ.

स्थान तथा दिनांक	मथुरा कार्यवाही तथा आदेश (लोहिया)	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	जिसे अपने आदेश में मानते हुए स्वरूप में अभिलेखित शामिल करें। उपरोक्त निर्देशों के साथ राजस्व म०ऽ० का यह प्रकरण समाप्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दा० दा० हो। सदस्य	

शाक्षेमुग्वा—75—फॉर्म्स—17-6-2015—5,000.